सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 06, बुधवार, *शाके* 1941–नवम्बर 27, 2019 *Agrahayana 06, Wednesday, Saka 1941–November 27, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2019

संख्या प.4(09)उद्योग/1/2008 :-मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा उद्योग विभाग से संबंधित भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के प्रकरणों में अनावश्यक भूमि को अवाप्ति मुक्त करने हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा की गयी अभिशंषा के क्रम में प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा गया, जिसमें मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 183/2018 दिनांक 20.09.2018 से मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड के माईनिंग प्रयोजन हेतु ग्राम पुर, मालोला, सामोडी, धूलखेडा एवं सुरास तहसील व जिला भीलवाडा की 1258 बीघा 05 बिस्वा अवाप्तशुदा निजी खातेदारी भूमि में से ग्राम सामोडी के खसरा नं. 410/3 की 3-07 बीघा, खसरा नं. 411 की 4-15 बीघा, खसरा नं. 147/2 की 5-10 बीघा, खसरा नं. 410/5 की 3 बीघा एवं खसरा नं. 410/4 की 3 बीघा कुल 19-12 बीघा भूमि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अवाप्ति से मुक्त किये जाने का निर्णय निम्न शर्तो के अध्यधीन लिया गयाः-

1. मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड के करारपत्र (MOU) की शर्तो के मुताबिक नियमानुसार उत्सुकता राशि (Keenness Money) से प्रशासनिक शुल्क, ग्रामीण संवर्धन विकास कोष (VADF) तथा कौशल विकास कोष (SDF) की एवज में देय राशि वसूल की जावे।
2. अवाप्ति से मुक्त की जा रही भूमि के समानुपात (Proportionate) में उत्सुकता राशि (Keenness Money) तदानुसार वसूल की जावेगी।

निर्वतमान सरकार द्वारा उक्त में लिये गये निर्णय, की समीक्षा वर्तमान मंत्रिस्तरीय गठित समिति द्वारा की जाकर पूर्व अवाप्ति से मुक्ति के निर्णय को यथावत् रखे जाने के कारण केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 48 के तहत उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।